



2026:AHC: 162383

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1110 वर्ष 2026

किशोर एक्स

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शशिकांत

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अभय सिंह कुशवाहा, शासकीय अधिवक्ता, रमेश सिंह
कुशवाहा

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने नैसर्गिक अभिभावक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 (जिसे इसके पश्चात "जे.जे. अधिनियम, 2015" कहा गया है) की धारा 102 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने और आपराधिक अपील संख्या 161 वर्ष 2025 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/किशोर न्यायालय, गाजीपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.01.2026 के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड, गाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 को अपास्त करने की मांग की गई है। आगे यह प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त आदेशों के प्रवर्तन पर रोक लगाई जाए और थाना भांवरकोल, जिला गाजीपुर में बी.एन.एस. की धारा 65(1), 351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जे)(ii)/5एल/6 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 207 वर्ष 2025 में पुनरीक्षणकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस वाद में, वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना के समय अपचारी की आयु लगभग 16 वर्ष थी। पीड़िता की आयु भी लगभग 15 वर्ष थी। एफ.आई.आर. में दिए गए वृत्तांत के अनुसार, पुनरीक्षणकर्ता ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और वह गर्भवती हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध वर्तमान एफ.आई.आर. दर्ज की गई। यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि पुनरीक्षणकर्ता ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और वह गर्भवती हो गई। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उससे विवाह करने का कोई वादा नहीं किया गया था। यहां तक कि यह तथ्य स्थापित करने के लिए कोई डी.एन.ए. रिपोर्ट भी नहीं है कि पीड़िता वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता द्वारा स्थापित संबंधों के परिणामस्वरूप गर्भवती हुई। जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के प्रतिकूल कुछ भी नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। विद्वान जे.जे. बोर्ड ने जमानत प्रार्थना पत्र तय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील खारिज करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अपचारी 24.09.2025 से किशोर संप्रेक्षण गृह में है और उसकी मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए, जे.जे. बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने और आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही विद्वान ए.जी.ए. ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि पुनरीक्षणकर्ता ने पीड़िता से विवाह का वादा किया और इसके बहाने उसके घर में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, जब उसकी मां घर से बाहर थी, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई और जब यह तथ्य उसकी मां के संज्ञान में आया, तो उसने वर्तमान एफ.आई.आर. दर्ज कराई। आगे तर्क दिया गया कि सोनोग्राफी रिपोर्ट में, 28 सप्ताह का गर्भ सकारात्मक पाया गया था और अब बच्चा पैदा हो गया है। पीड़िता ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत बयान दिया है कि, जब उसकी मां घर से बाहर थी, तब विवाह के बहाने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बनाए गए शारीरिक संबंधों के परिणामस्वरूप उसने गर्भ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



धारण किया। विद्वान ए.जी.ए. ने यह भी तर्क दिया कि 28.7.2026 को डी.एन.ए. परीक्षण के प्रयोजन के लिए बच्चे से नमूना लेने के लिए निर्देश मांगा गया था और नमूना लेने के पश्चात, इसे डी.एन.ए. परीक्षण के लिए एफ.एस.एल. भेजा जाएगा।

वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं और साथ ही विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों, अभिलेख के परिशीलन, पीड़िता और अपचारी की आयु, पीड़िता के बयान और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों और डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि जे.जे. बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया है, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया है। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 को एतद्वारा अपास्त किया जाता है और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

यह निर्देश दिया जाता है कि अपचारी/आवेदक को पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी के विधिक अभिभावक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणकर्ता/नैसर्गिक अभिभावक एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा होने पर पुनरीक्षणकर्ता को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या किसी भी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर अपराध को नहीं दोहराएगा।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता/नैसर्गिक अभिभावक आगे इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि किशोर उचित स्तर पर अपना अध्ययन जारी रखेगा, जिसे उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अलावा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) किशोर और पुनरीक्षणकर्ता/नैसर्गिक अभिभावक प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसे आवधिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जो किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

4 अगस्त, 2026

अनुराग सिंह

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”